प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 859/2004

याचिकाकर्ता : हुकुम चंद बंजारे, पिता अभिराम लाल बंजारे, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम पेंड्री तराई, थाना नंदनी नगर, जिला दुर्ग (छ. ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छ०ग०)

2) कलेक्टर, दुर्ग (पंचायत शाखा, दुर्ग)

3) उप संचालक, पंचायत और समाज कल्याण, दुर्ग (छ०ग०)

4) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दुर्ग, जिला–दुर्ग

5) सरपंच, ग्राम पंचायत, पेंड्री तराई, तहसील धमधा, जिला–दुर्ग (छ०ग०)

6) सत्य विजय, आयु 35 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री हरसेवक, पंचायत कर्मी सचिव, ग्राम पंचायत विकास खंड –धमधा, जिला–दुर्ग (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री सुनील साहू, विद्वान अधिवक्ता।

: छ०ग० राज्य के लिए श्री यशवंत सिंह, विद्वान शासकीय अधिवक्ता।

: उत्तरवादी संख्या 6 के लिए श्री एन. एल. सोनी, विद्वान अधिवक्ता ।

मौखिक आदेश

(दिनांक 20 फरवरी, 2006 को पारित)

याचिकाकर्ता के ग्राम पंचायत, पेंड्री तराई, तहसील धमधा, जिला दुर्ग में पंचायत कर्मी/सचिव के पद पर कार्यरत रहते समय, उसे कलेक्टर, पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 07/06/2002 के द्वारा इस आधार पर सेवा से हटा दिया था कि उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध दर्ज किया गया था। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे सत्र विचारण क्रमांक 138/2002 में विधिवत सुनवाई के बाद विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 06/11/2003 को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 01/03/2004 को कलेक्टर, पंचायत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और उसे सेवा में बहाल करने का अनुरोध किया। कलेक्टर, पंचायत ने उस आवेदन को उप संचालक, पंचायत, तृतीय उत्तरवादी को विचार के लिए अग्रेषित कर दिया और उप संचालक, पंचायत ने अपने आदेश दिनांक 10/03/2004 द्वारा याचिकाकर्ता के अनुरोध को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 07/06/2002 को सेवा से हटा दिए जाने के बाद, उसके स्थान पर मनहरण लाल वर्मा को नियुक्त किया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार नहीं किंया जा सकता था। उप सचालक, पंचायत के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता को दाण्डिक प्रकरण अर्थात् सत्र प्रकरण संख्या 138/2002 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 06/11/2003 को दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए वह पंचम उत्तरवादी की सेवा में बहाल होने का हकदार है और याचिकाकर्ता के दावे को रद्द करने के लिए उप संचालक, पंचायत द्वारा दिया गया कारण, विधिक रूप से पूर्णतः असमर्थनीय है।

दूसरी ओर, पांचवें उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा साथ ही पक्षकार बनाये गए उत्तरवादी क्र. 6 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि छठे उत्तरवादी को रिट याचिकाकर्ता के स्थान पर तब नियुक्त किया गया था जब याचिकाकर्ता अनियोजित था और चूंकि यह नियुक्ति नियमित आधार पर है , इसलिए छठे उत्तरवादी की नियुक्ति को बाधित नहीं किया जा सकता तथा याचिकाकर्ता को छठे उत्तरवादी के स्थान पर बहाल करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता ।

(3) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, निर्णय लेने के लिए एक छोटा प्रश्न यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता सत्र प्रकरण क्र. 138/2003 में अपने सम्मानपूर्ण दोषमुक्ति के कारण पंचम उत्तरवादी, ग्राम पंचायत की सेवा में बहाल होने का हकदार है। यह सुस्थापित किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवाओं को नियोक्ता राज्य द्वारा दाण्डिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण समाप्त कर दिया जाता है और अंततः ऐसे कर्मचारी को उस दाण्डिक कार्यवाही में सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो सेवा में बहाली की मांग करना उसका अधिकार है, अन्यथा यह एक निर्दोष कर्मचारी को बिना किसी गलती के दंडित करने के समान होगा। वर्त्तमान प्रकरण में, चूंकि याचिकाकर्ता को विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सम्मानपूर्वक दिनांक 06/11/2003 को दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए पंचम उत्तरवादी , ग्राम पंचायत को उसके निवेदन के अनुसरण में याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) छठे प्रतिवादी के दावे पर आते हुए, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि न्यायालय को उसकी नियुक्ति की विधिमान्यता की समीक्षा करने और यह पता लगाने के लिए नहीं कहा गया है कि क्या उसकी नियुक्ति नियमित आधार पर की गई थी या उसकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर थी या अस्थायी व्यवस्था के आधार पर थी । याचिकाकर्ता

के स्थान पर जिस भी तरह या रीती से पक्षकार बनाये गए छठे उत्तरवादी की नियुक्ति की गई, वह दोषपूर्ण है, क्योंकि याचिकाकर्ता को वर्तमान में छठे उत्तरवादी द्वारा धारण किए गए पद पर सेवा में बहाल होने का निहित अधिकार है, अतः छठे उत्तरवादी को याचिकाकर्ता के लिए रास्ता देना होगा। इस स्तर पर, पांचवें और छठवें उत्तरवादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से अपील की है कि वह पांचवें उत्तरवादी ग्राम पंचायत को याचिकाकर्ता के साथ–साथ छठे उत्तरवादी की सेवाओं को जारी रखने का निर्देश जारी करे। मुझे अफ़सोस है कि न्यायालय इस साधारण कारण से ऐसा निर्देश जारी करने के लिए सक्षम है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की शक्ति के क्षेत्राधिकार में संवर्ग संख्या में वृद्धि करना या किसी कर्मचारी की सेवा को अन्यथा जारी रखना नहीं है, यदि कोई पद या रिक्ति नहीं है। तथापि , यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि छठे प्रतिवादी को ग्राम पंचायत की सेवा में विद्यमान किसी अन्य रिक्ति में समायोजित किया जा सकता है तो याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करना ग्राम पंचायत का काम है न कि न्यायालय का ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) परिणामस्वरूप और पूर्वोक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और उप संचालक, पंचायत, तृतीय उत्तरवादी के आक्षेपित आदेश दिनांक 10/03/2004 अभिखंडित किया जाता है। याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों, आर्थिक और अन्य के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश उत्तरवादीगण को जारी किया जाये। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur